(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SACHIVALAYA, I.P.ESTATE: NEW DELHI-02

No.F.12(17)/Fin(Rev-I)/2011-12/DS/III/1421 Dated: 07/12/2011

NOTIFICATION

No. -In exercise of the powers conferred by section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Delhi Excise (Third Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. Amendment of Rule 32. – In the Delhi Excise Rules, 2010 (hereinafter referred to as "the principal Rules"), in rule 32, in sub-rule (1), in the table, in the description in third column, under the heading 'Details of Licences', against L-10 Licence appearing at Sl. No.15, for the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls", the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls and Shopping Complex at Airport", shall be substituted.

3. Amendment of Rule 154. – In the principal Rules, in rule 154, in sub-rule (2), in the table, in the description in fourth column, under the heading 'Description of Licences' against L-10 Licence appearing at Sl. No.12, for the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls", the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls and Shopping Complex at Airport", shall be substituted.

4. Amendment of Form L-10. – In the principal Rules, in the forms appended therewith, in FORM L-10, for the words, figure and bracket "L-10 (Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls)", the words, figure and bracket "L-10 (Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls and Shopping Complex at Airport)", shall be substituted.

By order and in the name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

7/12/11

(S.K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

No. No.F.12(17)/Fin(Rev-I)/2011-12/DS/III/1421 Dated 07/12/2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.

C/C

2. The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi
3. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Deputy Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. Web site.
6. Guard File.

7/12/11

(S. K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

o/c

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
चौथा तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0: 12(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/ दिनांकः 07/12/11

अधिसूचना

सं0फा0 12(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/ :– दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः–** (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 32 में संशोधनः–** दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 (इसके पश्चात् जिसे "मुख्य नियमावली" कहा गया है) के नियम 32 के उपनियम (1) की तालिका के तीसरे कॉलम में दिये गए विवरण में "लाइसेंसों का विवरण" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं0 15 पर उल्लिखित एल–10 लाइसेंस के सामने "शॉपिंग मालों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों के स्थान पर "शॉपिंग माल तथा हवाई अड्डों पर शामिल काम्प्लैक्सों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **नियम 154 में संशोधनः–** मुख्य नियमावली के नियम 154 के उपनियम (2) की तालिका के चौथे कॉलम में विवरण में, "लाइसेंसों का विवरण" शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं0 12 पर उल्लिखित एल–10 लाइसेंस के सामने "शॉपिंग मालों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों के स्थान पर "शॉपिंग माल तथा हवाई अड्डों पर शामिल काम्प्लैक्सों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **फार्म एल–10 में संशोधन :–** मुख्य नियमावली के साथ संलग्न फार्मों के फार्म एल–10 के शब्द, अंक तथा कोष्ठक "एल–10 (शॉपिंग मालों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री)" के स्थान पर "एल–10 (शॉपिंग माल तथा हवाई अड्डों पर शामिल काम्प्लैक्सों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

7/12/11
(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप– सचिव –III (वित्त)

सं फाः 12(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/15/14119/1421 दिनांक 07/12/11

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली, को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. आयुक्त (आबकारी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एल –ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. उप–सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
5. वेबसाइट ।
6. गार्ड फाईल ।

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप– सचिव –III (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

784/C

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SACHIVALAYA, I.P.ESTATE: NEW DELHI-02

No.F.12(17)/Fin(Rev-I)/2011-12/DS/III/1421 Dated: 07/12/,2011

NOTIFICATION

No. -In exercise of the powers conferred by section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Delhi Excise (Third Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. Amendment of Rule 32. – In the Delhi Excise Rules, 2010 (hereinafter referred to as "the principal Rules"), in rule 32, in sub-rule (1), in the table, in the description in third column, under the heading 'Details of Licences', against L-10 Licence appearing at Sl. No.15, for the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls", the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls and Shopping Complex at Airport", shall be substituted.

3. Amendment of Rule 154. – In the principal Rules, in rule 154, in sub-rule (2), in the table, in the description in fourth column, under the heading 'Description of Licences' against L-10 Licence appearing at Sl. No.12, for the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls", the words "Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls and Shopping Complex at Airport", shall be substituted.

4. Amendment of Form L-10. – In the principal Rules, in the forms appended therewith, in FORM L-10, for the words, figure and bracket "L-10 (Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls)", the words, figure and bracket "L-10 (Retail vend of Indian Liquor and Foreign Liquor in Shopping Malls and Shopping Complex at Airport)", shall be substituted.

By order and in the name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

7/12/11

(S.K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

No. No.F.12(17)/Fin(Rev-I)/2011-12/DS/III/1421 Dated 07/12/, 2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.

C/C

2. The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi
3. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Deputy Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. Web site.
6. Guard File.

7/12/11

(S. K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

o/c

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
चौथा तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0: 12(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/ दिनांकः 07/12/11

अधिसूचना

सं0फा0 12(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/ .– दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः–** (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2011 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 32 में संशोधनः–** दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 (इसके पश्चात् जिसे "मुख्य नियमावली" कहा गया है) के नियम 32 के उपनियम (1) की तालिका के तीसरे कॉलम में दिये गए विवरण में "लाइसेंसों का विवरण" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं0 15 पर उल्लिखित एल–10 लाइसेंस के सामने "शॉपिंग मालों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों के स्थान पर "शॉपिंग माल तथा हवाई अड्डों पर शामिल काम्प्लैक्सों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **नियम 154 में संशोधनः–** मुख्य नियमावली के नियम 154 के उपनियम (2) की तालिका के चौथे कॉलम में विवरण में, "लाइसेंसों का विवरण" शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं0 12 पर उल्लिखित एल–10 लाइसेंस के सामने "शॉपिंग मालों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों के स्थान पर "शॉपिंग माल तथा हवाई अड्डों पर शामिल काम्प्लैक्सों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **फार्म एल–10 में संशोधन :–** मुख्य नियमावली के साथ संलग्न फार्मों के फार्म एल–10 के शब्द, अंक तथा कोष्ठक "एल–10 (शॉपिंग मालों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री)" के स्थान पर "एल–10 (शॉपिंग माल तथा हवाई अड्डों पर शामिल काम्प्लैक्सों में भारतीय तथा विदेशी शराब की खुदरा बिक्री)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

7/12/11
(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप– सचिव –III (वित्त)

4C

सं फा: 12(17)/वित्त (राज0-1)/2011-12/15944-112/1521 दिनांक 07/12/11

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली, को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. आयुक्त (आबकारी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एल -ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. उप-सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
5. वेबसाइट ।
6. गार्ड फाईल ।

7/12/11

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप- सचिव -III (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SACHIVALAYA, I.P.ESTATE: NEW DELHI-02

No.F.3(17)/Fin(Rev-I)/2011-12 Dated: ,2011

NOTIFICATION

No.F.3(17)/Fin(Rev-I)/2011-12 -WHEREAS the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Schedules appended to the said Act, namely: -

AMENDMENT

1. In the First Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), for the commodity at Sl. No. 26, the following shall be substituted, namely:-

"26. Organic manure, fertilizers, bio-inputs like bio-fertilizers, micro-nutrients and plant growth promoters."

2. In the Third Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the commodity mentioned at Sl. No. 188 shall be omitted.

This notification shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(S.K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

No.F.3(17)/Fin(Rev-I)/2011-12/DS/III/1420 Dated 07/12/, 2011
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

3. The Commissioner, Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Deputy Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P.Estate, New Delhi.
5. The Registrar, Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P.Estate, New Delhi.
6. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. Guard File.
8. Web site.

7/12/11

(S.K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
चौथा तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0 3(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/

दिनाक:

अधिसूचना

सं0फा0 3(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/ .– जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

1. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

   "26 जैविक खाद, उर्वरक, जैविक उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बायो–इनपुट एवं पौधे को बढ़ाने वाले तत्व"

2. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) के साथ संलग्न तृतीय अनुसूची क्रम संख्या 188 पर उल्लिखित वस्तु हटाई जायेगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप सचिव–III (वित्त)

सं0फा0 3(17)/वित्त(राज0–1)/2011–12/ 1420

दिनांक: 07/12/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली।
4. उप–सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
5. पंजीयक, मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (नीति), मूल्य संवर्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
7. गार्ड फाईल ।
8. वेबसाइट।

7/12/11

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप सचिव–III (वित्त)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
4TH LEVEL, 'A' WING, DELHI SACHIVALAYA, I.P.ESTATE: NEW DELHI-02

No.F.3(17)/Fin(Rev-I)/2011-12 Dated: ,2011

NOTIFICATION

No.F.3(17)/Fin(Rev-I)/2011-12 -WHEREAS the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Schedules appended to the said Act, namely: -

AMENDMENT

1. In the First Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), for the commodity at Sl. No. 26, the following shall be substituted, namely:-

"26. Organic manure, fertilizers, bio-inputs like bio-fertilizers, micro-nutrients and plant growth promoters."

2. In the Third Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the commodity mentioned at Sl. No. 188 shall be omitted.

This notification shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(S.K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

No.F.3(17)/Fin(Rev-I)/2011-12/DS/III/1420 Dated 07/12/, 2011

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

3. The Commissioner, Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Deputy Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P.Estate, New Delhi.
5. The Registrar, Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P.Estate, New Delhi.
6. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. Guard File.
8. Web site.

(S.K. Kamra)
Deputy Secretary-III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व–1) विभाग

चौथा तल, ए–विंग दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0 3(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/

दिनांक:

अधिसूचना

सं0फा0 3(17)/वित्त (राज0–1)/2011–12/ .– जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

1. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

   "26 जैविक खाद, उर्वरक, जैविक उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बायो–इनपुट एवं पौधे को बढ़ाने वाले तत्व"

2. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) के साथ संलग्न तृतीय अनुसूची क्रम संख्या 188 पर उल्लिखित वस्तु हटाई जायेगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप सचिव–III (वित्त)

सं0फा0 3(17)/वित्त(राज0–1)/2011–12/[illegible]/1420

दिनांक: 07/12/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली।
4. उप–सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
5. पंजीयक, मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (नीति), मूल्य संवर्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली।
7. गार्ड फाईल ।
8. वेबसाइट।

(सुरेन्द्र कुमार कामरा)
उप सचिव–III (वित्त)

[illegible]
[illegible] PARTMENT [illegible]
8th LEVEL, C [illegible]

[illegible] 2011/Iclaw [illegible] Dated [illegible]

NOTIFICATION

No.F.14(6)/LA-2011/Iclaw/ [illegible] - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 17th September, 2011 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011
(DELHI ACT 08 OF 2011)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 01st September, 2011)

[17th September, 2011]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) Save as otherwise provided, it shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 2.- In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 2, in sub-section (1), in clause (zd), after sub-clause (vii) and before the Explanation occurring at the end thereof, the following provisos shall be inserted, namely;

"PROVIDED that an amount equal to the increase in the price of diesel (HSD) (including the duties and levies charged thereon by the Central Government) taking effect from the 25th June, 2011 shall not form part of the sale price of diesel (HSD) sold on or after the date of the commencement of the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2011 till such date as the Government may, by notification in the official Gazette, direct or if the price of diesel (HSD) falls below the sale price prior to 25th June, 2011, whichever is earlier :

PROVIDED further that if the price of diesel (HSD) further increases from the level of price as on 25th June, 2011, the first proviso shall not have any effect on such further increase:

PROVIDED also that if the price of diesel (HSD) declines but remains above the price prevailing prior to 25th June, 2011, the first proviso shall have effect to the extent of the remaining increase:

PROVIDED also that the first proviso shall not take effect till the benefit is passed on to the consumers.".

3. **Amendment of section 4.-** In the principal Act, in section 4, in sub-section (1) -

(I) the proviso to clause (b) shall be omitted;

(II) in the first proviso to clause (d), for the word "four", the word "five" shall be substituted.

4. **Amendment of section 9.-** In the principal Act, in section 9, in sub-section (1), for the words "to the extent of proportion of the goods which have been put to sale", the words "where the purchase arises" shall be substituted.

5. **Amendment of section 74.-** In the principal Act, in section 74, in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"PROVIDED also that the Commissioner may, after giving to the dealer an opportunity of being heard, may direct the dealer to deposit an amount deemed reasonable, out of the amount under dispute, before such objection is entertained.".

28.9.11

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8 वाँ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –110002

सं0 फा0 14(6)/एलए–2011/एलसीलॉ/193   दिनांक 28 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

सं0 फा0 14(6)/एलए–2011/एलसीलॉ/193.– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप–राज्यपाल की सहमति दिनांक 17 सितम्बर, 2011 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011
(2011 का दिल्ली अधिनियम 08)

(01सितम्बर, 2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[17 सितम्बर, 2011]

दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिख्ति रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** .– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।
(2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है ।
(3) अन्यथा उपवंधित को छोड़कर यह सरकारी राजपत्र में अधिसचूना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा ।

2. **धारा 2 का संशोधन** .– दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (जैड डी) में, उपवंध (vii) के पश्चात् तथा इसके अन्त में आने वाली व्याख्या से पहले निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात :–

"उपवंध है कि 25 जून, 2011 से लागू होने वाले डीजल (एचएसडी) (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर ली जाने वाली ड्यूटी तथा लैवी सहित) के मूल्य में बढ़ोतरी के समान राशि दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 के लागू होने की तिथि को या उसके पश्चात बेचे गये डीजल के बिक्री मूल्य का भाग तब तक नही होगा जब तक कि सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तिथि का निदेश न दे या डीजल (एचएसडी) का मूल्य 25 जून, 2011 से पहले के बिक्री मूल्य से नीचे हो जाये, इनमें जो भी पहले हो :

आगे उपवंध है कि यदि डीजल (एचएसडी) का मूल्य 25 जून, 2011 के मूल्य स्तर से ऊपर जाता है तो प्रथम परन्तुक का इस बढोतरी पर कोई प्रभाव नहीं होगा :

यह भी उपवंध है कि यदि डीजल (एचएसडी) का मूल्य नीचे आता है मगर वह 25 जून, 2011 के मूल्य स्तर से ऊपर रहता है तो प्रथम परन्तुक शेष बढ़ोतरी की सीमा तक लागू होगा :

यह भी उपवंध है कि प्रथम परन्तुक तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को न मिले ।"

3, **धारा 4 का संशोधन** .– मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 में :–

(i) खंड (ख) के परन्तुक को हटाया जायेगा;

(ii) खंड (घ) के प्रथम परन्तुक में "चार" शब्द के स्थान पर "पाँच" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

4, **धारा 9 का संशोधन** .– मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में, "सामान के उस भाग की सीमा तक जिसकी बिक्री की गई है" शब्दों के स्थान पर "जहाँ खरीद का पता चलता है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

5, **धारा 74 का संशोधन** .– मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात :–

"यह भी उपवंध है कि आयुक्त, व्यापारी को सुनवाई का अवसर देकर आपत्ति पर विचार करने से पहले व्यापारी को विवादास्पद राशि में से यथोपयुक्त राशि जमा करने के लिए आदेश दे सकता है ।"

तरून सहरावत

(तरून सहरावत)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

[illegible]
(DEPARTMENT OF LA[illegible])
8th LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

[illegible] LA-2011 [illegible] [illegible]

NOTIFICATION

No.F.14(6)/LA-2011/lclaw/ 1-l 5 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 17th September, 2011 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011
(DELHI ACT 08 OF 2011)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 01st September, 2011)

[17th September, 2011]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) Save as otherwise provided, it shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 2.- In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 2, in sub-section (1), in clause (zd), after sub-clause (vii) and before the Explanation occurring at the end thereof, the following provisos shall be inserted, namely;

"PROVIDED that an amount equal to the increase in the price of diesel (HSD) (including the duties and levies charged thereon by the Central Government) taking effect from the 25th June, 2011 shall not form part of the sale price of diesel (HSD) sold on or after the date of the commencement of the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2011 till such date as the Government may, by notification in the official Gazette, direct or if the price of diesel (HSD) falls below the sale price prior to 25th June, 2011, whichever is earlier :

PROVIDED further that if the price of diesel (HSD) further increases from the level of price as on 25th June, 2011, the first proviso shall not have any effect on such further increase:

PROVIDED also that if the price of diesel (HSD) declines but remains above the price prevailing prior to 25th June, 2011, the first proviso shall have effect to the extent of the remaining increase:

PROVIDED also that the first proviso shall not take effect till the benefit is passed on to the consumers.".

3. **Amendment of section 4.-** In the principal Act, in section 4, in sub-section (1) -

(I) the proviso to clause (b) shall be omitted;

(II) in the first proviso to clause (d), for the word "four", the word "five" shall be substituted.

4. **Amendment of section 9.-** In the principal Act, in section 9, in sub-section (1), for the words "to the extent of proportion of the goods which have been put to sale", the words "where the purchase arises" shall be substituted.

5. **Amendment of section 74.-** In the principal Act, in section 74, in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"PROVIDED also that the Commissioner may, after giving to the dealer an opportunity of being heard, may direct the dealer to deposit an amount deemed reasonable, out of the amount under dispute, before such objection is entertained.".

28.9.11

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8 वॉ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –110002

सं0 फा0 14(6)/एलए–2011/एलसीलॉ/193 दिनांक 28 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

सं0 फा0 14(6)/एलए–2011/एलसीलॉ/193.– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप–राज्यपाल की सहमति दिनांक 17 सितम्बर, 2011 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011
(2011 का दिल्ली अधिनियम 08)

(01सितम्बर, 2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[17 सितम्बर, 2011]

दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिख्ति रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** .– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।
(2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है ।
(3) अन्यथा उपवंधित को छोड़कर यह सरकारी राजपत्र में अधिसचूना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा ।

2. **धारा 2 का संशोधन** .– दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (जैड डी) में, उपवंध (vii) के पश्चात् तथा इसके अन्त में आने वाली व्याख्या से पहले निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात :–

"उपवंध है कि 25 जून, 2011 से लागू होने वाले डीजल (एचएसडी) (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर ली जाने वाली ड्यूटी तथा लैवी सहित) के मूल्य में बढ़ोतरी के समान राशि दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 के लागू होने की तिथि को या उसके पश्चात बेचे गये डीजल के बिक्री मूल्य का भाग तब तक नही होगा जब तक कि सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तिथि का निदेश न दे या डीजल (एचएसडी) का मूल्य 25 जून, 2011 से पहले के बिक्री मूल्य से नीचे हो जाये, इनमें जो भी पहले हो :

आगे उपवंध है कि यदि डीजल (एचएसडी) का मूल्य 25 जून, 2011 के मूल्य स्तर से ऊपर जाता है तो प्रथम परन्तुक का इस बढोतरी पर कोई प्रभाव नहीं होगा :

यह भी उपवंध है कि यदि डीजल (एचएसडी) का मूल्य नीचे आता है मगर वह 25 जून, 2011 के मूल्य स्तर से ऊपर रहता है तो प्रथम परन्तुक शेष बढ़ोतरी की सीमा तक लागू होगा :

यह भी उपवंध है कि प्रथम परन्तुक तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को न मिले ।"

3, **धारा 4 का संशोधन** .— मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 में :—

(i) खंड (ख) के परन्तुक को हटाया जायेगा;

(ii) खंड (घ) के प्रथम परन्तुक में "चार" शब्द के स्थान पर "पाँच" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

4, **धारा 9 का संशोधन** .— मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में, "सामान के उस भाग की सीमा तक जिसकी बिक्री की गई है" शब्दों के स्थान पर "जहाँ खरीद का पता चलता है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

5, **धारा 74 का संशोधन** .— मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात :—

"यह भी उपवंध है कि आयुक्त, व्यापारी को सुनवाई का अवसर देकर आपत्ति पर विचार करने से पहले व्यापारी को विवादास्पद राशि में से यथोपयुक्त राशि जमा करने के लिए आदेश दे सकता है ।"

तरूण सहरावत

(तरून सहरावत)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.3(15)/Fin.(Rev.-1)/2011-12/ Dated:

NOTIFICATION

No.F.3(15)/Fin.(Rev.-1)/2011-12/ .-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2011 (Delhi Act 08 of 2011), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 1st day of October 2011, as the date on which said Act shall come into force.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(B. L. SHARMA)
SPL. SECRETARY (FINANCE)

No.F.3(15)/Fin.(Rev.-1)/2011-12/ SSF/113 Dated : 30/9/2011

Copy forwarded for information:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P.Estate, New Delhi.
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade & Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi
12. Guard File.
13. Website.

(B. L. SHARMA)
SPL. SECRETARY (FINANCE)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित (राजस्व–1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–02

सं0फा0 3(15)/वित्त (राजस्व–1)/2011–12 दिनांक

अधिसूचना

सं0फा0 3(15)/वित्त (राजस्व–1)/2011–12/ दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 08) की धारा–1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 01 अक्तूबर, 2011 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जब से उक्त अधिनियम लागू होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(बी. एल. शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)

सं0फा0 3(15)/वित्त (राजस्व–1)/2011–12/[illegible]/113 दिनांक 30/9/2011

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः–

1 प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
4. प्रधान सचिव, (वित) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
5. आयुक्त, मूल्य सवंर्धित कर, व्यापार भवन, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
7. नि0स0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
10. पंजीयक, मूल्य सवंर्धित कर अपीलीय प्राधिकरण, व्यापार भवन, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
11. मूल्य सवंर्धित कर अधिकारी, (नीति), मूल्य सवंर्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली ।
12. गार्ड फाइल ।
13. वेबसाइट ।

(बी. एल. शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.3(15)/Fin.(Rev.-1)/2011-12 Dated:

NOTIFICATION

No.F.3(15)/Fin.(Rev.-1)/2011-12/ .-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2011 (Delhi Act 08 of 2011), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints the 1st day of October 2011, as the date on which said Act shall come into force.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(B. L. SHARMA)
SPL. SECRETARY (FINANCE)

No.F.3(15)/Fin.(Rev.-1)/2011-12/ SSF/113 Dated : 30/9/2011

Copy forwarded for information:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P.Estate, New Delhi.
11. VAT Officer (Policy), Department of Trade & Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi
12. Guard File.
13. Website.

(B. L. SHARMA)
SPL. SECRETARY (FINANCE)

दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

वित (राजस्व–1) विभाग

दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–02

सं0फा0 3(15)/वित्त (राजस्व–1)/2011–12 दिनांक

अधिसूचना

सं0फा0 3(15)/वित्त (राजस्व–1)/2011–12/ दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 08) की धारा–1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 01 अक्तूबर, 2011 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जब से उक्त अधिनियम लागू होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(बी. एल. शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)

सं0फा0 3(15)/वित्त (राजस्व–1)/2011–12 | [illegible]/113 दिनांक 30/9/2011

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः–

1 प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
4. प्रधान सचिव, (वित) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
5. आयुक्त, मूल्य सवंर्धित कर, व्यापार भवन, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
7. नि0स0, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
10. पंजीयक, मूल्य सवंर्धित कर अपीलीय प्राधिकरण, व्यापार भवन, आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली ।
11. मूल्य सवंर्धित कर अधिकारी, (नीति), मूल्य सवंर्धित कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली ।
12. गार्ड फाइल ।
13. वेबसाइट ।

(बी. एल. शर्मा)
विशेष सचिव (वित्त)